अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 31 / 2011

अनिल मॉझी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 200 दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्र0वि0 पदा0, मशरक तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया) के द्वारा अपराह्न 12.10 बजे अनील मॉझी, ज0वि0प्र0वि0, अनुज्ञप्ति सं0–82 / 2007, ग्राम–हनुमानगंज, पंचायत– मशरक पूर्वी, थाना– मशरक, प्रखंड–मशरक की दुकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम मे, विक्रेता की दूकान से संबंधित निम्न अनियमितताए पाई गई– 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बन्द पाई गई तथा विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं थी। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी / वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न / चीनी / किरासन तेल का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कर कालाबाजार में बेच दिया जाता है।	

5. विक्रेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा लिखित ब्यान दिया गया है कि उन्हें प्रत्येक माह राशन और किरासन तेल नहीं मिलता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 3643 दिनांक 24.12.2010 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 200 दिनांक 13.01.2011 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। दिनांक 08.12.2010 को अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से विक्रेता ईलाज कराने हेतु मशरक चले गये थे। जाने के पूर्व उनके द्वारा सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका पट्ट समुचित रूप से संधारित था। विक्रेता की अनुपस्थिति में विक्रेता की माँ के द्वारा भंडार खोलकर जॉच अधिकारियों को दिखाया गया लेकिन जॉच दल के द्वारा इसका निरीक्षण नही किया गया। विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। विक्रेता से किए गए कारण पृच्छा में शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नही किया गया है, और न ही विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक था। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 200, दिनांक 13.01.2011) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता की दूकान यदि बन्द थी, तो एक अन्य तिथि निर्धारित कर दूकान का निरीक्षण किया जाना चाहिए था। विक्रेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए, यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को **रिमांड** किया जाता है कि वे विक्रेता से पुनः चिन्हित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे, अपने स्तर से सुनवाई करें एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2085 /दिनांक 15/1/16/

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/01/16

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

15/1/16